मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-2016

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल

जनवरी, 2016

अनुबंध-9

(पैरा 7.17.3)

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-2016 (विवेचना अवधि)

मध्यप्रदेश शासन

विभाग	खनिज साधन विभाग
केबिनेट मंत्री	श्री राजेन्द्र शुक्ल

मंत्रालय

सचिव	श्री शिव शेखर शुक्ला
उप सचिव	श्री तरूण राठी
अवर सचिव	श्री राजेश कोल
पदेन अवर सचिव	श्री ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

संचालक	श्री विनीत कुमार आस्टिन

विषय-सूची

भाग-एक

		पृष्ठ क्र.
1.1	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय	1
1.2	विभाग का दायित्व एवं विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	2-3
1.3	विभाग से संबंधित सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं	3
1.4	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	4

भाग-दो

2.1	बजट विहंगावलोकन, प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	5-6

भाग-तीन

3.1	(अ)	राज्य योजनायें	7-8
3.2	(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें	9
3.3	(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें	9
3.4	(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें	9
3.5	(ई)	अन्य योजनायें	

भाग-चार

4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	10

भाग-पाँच

5.1	अभिनव योजना	11-12

भाग-छः

6.1	विभाग द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन	13

भाग-सात

7.1	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से संबंधित जानकारी	14-18

भाग-आठ	8.1	जेण्डर मुद्दे	19
भाग-नौ	9.1	सारांश	20

भाग - एक

प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र का चौथा खनिज सम्पन्न राज्य है। विकास की आवश्यकता के अनुरूप खनिजों की मांग औद्योगिक प्रगति के साथ बढ़ती जाती है। खनिज साधन विभाग द्वारा खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं विधिमान्य नियमों के अंतर्गत खनिजों के दोहन पर सतत निगरानी रखते हुए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। खनिज साधन विभाग के अधीन गठित निगम द्वारा कुछ खनिजों के दोहन का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से प्रदेश के राजकोषीय आय में निरंतर वृद्धि तथा नये खनिज भंडारों की खोज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक रूपये 2220.92 करोड़ खनिज राजस्व राजकीय कोष में संग्रहित हुआ है।

1.1 विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय :-

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश तथा सार्वजनिक उपक्रम के रूप में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम कार्यरत है।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का मुख्यालय भोपाल में स्थापित है। इसके अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, इन्दौर, रीवा, ग्वालियर तथा एक हीरा कार्यालय पन्ना में स्थापित है। समस्त 51 जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में खनि शाखा कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला कार्यरत है।

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसके अधीनस्थ 13 कार्यालय जबलपुर, कटनी, मण्डला, सागर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, हरदा, सतना, धार, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, डबरा (ग्वालियर) में स्थित है।

1.2 विभाग का दायित्व एवं विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में स्वीकृत कुल 848 पदों में से दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में 599 पद भरे एवं 249 पद रिक्त है। स्वीकृत अमले तथा पदस्थापना का विवरण परिशिष्ट-"क" में दर्शित है। विभाग में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है।

1. खनिज अन्वेषण
2. खनिज प्रशासन

खनिज अन्वेषण :-

खनिजों की खोज के कार्य में विभागीय तकनीकी अमला यथा उप संचालक (तक.), सहायक भौमिकीविद् एवं अन्य तकनीकी/गैर तकनीकी अमला कार्यरत है। विभागीय अन्वेषण कार्य की रूप रेखा राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। इस मंडल में राज्य में कार्यरत केन्द्रीय शासन की अन्वेषण एजेन्सियां, जैसे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरों, कोल इंडिया लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम तथा अन्य शासकीय विभाग तथा उपक्रम सदस्य होते रहें है। राज्य भू-वैज्ञानिक मण्डल की 49वीं बैठक 15.10.2015 को सचिव खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में खनिज क्षेत्र में निवेश कर रही अग्रणी कंपनियों एवं शिक्षाविदों को भी नये सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के अलावा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों के द्वारा वर्ष 2015-16 में किये जाने वाले सर्वेक्षण एव पूर्वेक्षण कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम को समस्त सदस्यों द्वारा एकमत से अनुमोदित किया गया। विभाग द्वारा आंकलित खनिज भण्डारों के प्रतिवेदन निर्धारित शुल्क जमा करने पर जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षो में (2010-11 से 2014-15 तक) किये गये अन्वेषण कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख"-एक एवं परिशिष्ट-"ख"-दो में दर्शित है।

खनिज प्रशासन :-

खनिज प्रशासन के अंतर्गत विभाग के अधिनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अमले द्वारा प्रदेश में स्वीकृत खनि रियायतों का नियमन, नवीन आवेदनों का निराकरण तथा खनिजों के नियमानुसार दोहन पर नियंत्रण किया जाता है।

वर्ष 2014-2015 में खनिजों के अवैध उत्खनन के 564 प्रकरण अवैध परिवहन के 7861 प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के 657 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अवैध उत्खनन से 174.23 लाख रू0 तथा अवैध परिवहन से 1733.35 लाख रुपए एवं अवैध भण्डारण से 512.62 लाख रू0 की अर्थदण्ड की वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-2016 में माह दिसम्बर 2015 तक खनिजों के अवैध उत्खनन के 489, अवैध परिवहन के 9711 एवं अवैध भंडारण के 693 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अवैध उत्खनन से 124.33 लाख रू0, अवैध परिवहन से 2528.58 लाख रू0 एवं अवैध भंडारण से 290.03 लाख रू0 अर्थदण्ड की वसूली की गई है।

खनिज प्रशासन को अधिक सुदृढ़ करने हेतु विभाग में जिला स्तर पर खनिज भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब तक 41 जिलों में जिला कार्यालय हेतु खनिज भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष 9 जिलों हेतु भवन निर्माण की कार्यवाही विभिन्न स्तर पर है, इसके अलावा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर एवं रीवा हेतु भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

महिला नीति 2013-2017 :-

राज्य की महिला नीति 2013-2017 के अन्तर्गत महिला समूहों को उत्खनिपट्टे प्राथमिकता के आधार पर देने के संबंध में महिलाओं की सहकारी समितियों/सहयोजन या किसी महिला को उसी क्रम के अन्य आवेदकों पर अधिमानी अधिकारी दिए गए है।

गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21(2) के अंतर्गत महिला/महिला समूहों को अधिमानी अधिकारी के तहत प्राथमिकता के आधार पर उत्खनिपट्टे दिये जाने बावत एवं प्रचार-प्रसार बावत समस्त जिला कार्यालयों को पूर्व से निर्देशित किया गया है।

महिला नीति 2013-17 के अंतर्गत माह दिसम्बर 2015 तक कुल 336 महिलाओं को उत्खनिपट्टे स्वीकृत किये गये है।

1.3 विभाग से संबंधित सामान्य व प्रमुख विशेषतायें :-

मध्यप्रदेश की विपुल खनिज सम्पदा पर प्रदेश में कई खनिज आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खनिज आधारित उद्योगों का विकास एवं मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो। इस नीति के अंतर्गत कटनी जिले में म0प्र0 औद्यौगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्टोन पार्क की स्थापना की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभाग की गतिविधियों को आनलाईन करने हेतु एन.आई.सी. द्वारा वेब पार्टल "ई-खनिज" बनाया गया है। इसके अंतर्गत खनि रियायत से संबंधित आवेदन पत्र आनलाईन प्राप्त किये जाते है, उनकी प्रोसेसिंग तथा स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही आनलाईन की जा रही है। विभाग द्वारा ई खनिज पोर्टल को परिवहन विभाग के साथ लिंक किया जा चुका है, तथा अब पटटेदार/ट्रासपोटर ऑनलाइन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ई-खनिज पॉटल पर कर सकते है, इसके अलावा अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की जानकारी, विभिन्न मासिक पत्रक की जानकारी एम.आई.एस. रिपोर्ट के रूप मे प्राप्त की जा रही है। ई-खनिज के उन्नयन तथा विकास की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा पहली बार रेत एवं फर्शी पत्थर खदानों की नीलामी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की गई है।

विभाग की वेबसाईट का निर्माण आई.टी. विभाग द्वारा किया गया है। जिसमें विभाग से संबंधित खनिज अन्वेषण तथा खनिज प्रशासन की जानकारी आमजनों को सुलभ उपलब्ध कराई जायेगी।

खनन क्षेत्र में निवेश के आशय प्रस्ताव :-

राज्य शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 में विभाग से संबंधित प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु निवेशकों से कुल 111 प्राप्त निवेश आशय में से 88 प्रस्ताव रूचि न प्रदर्शित करने के कारण पृथक / ड्राप का निर्णय लिया गया है । शेष 23 निवेश आशय प्रस्ताव कार्यशील है जिनमें कुल 34388.58 करोड़ का निवेश संभावित है इससे राज्य में पूंजी निवेश से औद्योगिक विकास हो सकेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगे ।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी :-

खनिज सम्पदा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र के आठ खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में प्रमुख रूप से 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, मैंगनीज के उत्पादन में भी राष्ट्र मे प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को राकफॉस्फेट, चूनापत्थर, डायस्पोर, क्ले (अदर्स) के उत्पादन में द्वितीय शैल लेटरराईट, ओकर के उत्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त है। कोयले, डोलोमाईट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय परिदृश्य में चौथा है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विभाग के लिये राजस्व आय शीर्ष 0853 एवं ग्रामीण अवसंरचना शीर्ष 0035 के अतंर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य 3400 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3477.32 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 102.27 प्रतिशत होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा 3550.00 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2015 तक 2220.92 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 63 प्रतिशत होता है। विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 2257.00 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर तक ग्रामीण अवसंरचना से 400.56 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसी अवधि में ग्रामीण अवसंरचना से 456.41 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई थी।

राज्य में उत्पादित किये गये प्रमुख खनिजों के विगत तीन वर्षो के उत्पादन एवं राजस्व प्राप्ति के आंकड़ें परिशिष्ट -"ग" में दर्शित है।

भाग - 2

2.1 बजट विहंगावलोकन, बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज अन्वेषण व खनिज प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिये विभागीय बजट रु. 381255 हजार प्रावधानित किया गया है जिसमें रु. 162994 हजार आयोजना बजट एवं रु. 218261 हजार आयोजनेत्तर बजट आवंटित है।

विभागीय बजट का पिछले तीन वर्षो का योजनावार प्रावधान एवं व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु योजनावार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः-

विभागीय बजट की जानकारी

(आंकडे हजार रूपयों में)

विभागीय बजट अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग शीर्ष 2853	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान
मांग संख्या 25 (क) आयोजना	121300	98191	130744	106687	142828	106607	162994.2
अलौह धातुखनन एवं धातुकर्म पर पूंजी परिव्यय शीर्ष 4853 (आयोजना)	1000	517	1000	722	1000	397	0
योग (आयोजना)	122300	98708	131744	107409	143848	107004	162994.2
मांग संख्या 25 (क) आयोजनेत्तर	135414	117007	166528	125941	227082	147171	227829
योग (आयोजनेत्तर)	135414	117007	166528	125941	227082	147171	227829
मांग संख्या 25 महायोग	257714	215715	298272	233350	370930	254175	390823.02
भारित	300	00	500	168	500	19.5	500

आयोजना

विभागीय बजट अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग शीर्ष 2853	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान
मांग संख्या -25 बजट एवं व्यय योजनावार (क) उपयोजना मांग संख्या 25							
1. निर्देशन 001	21727	154416	24729	18552	24675.1	17396	25541
2. अनुसंधान और विकास 004	4766	3526	5444	3931	6788.6	3842	5763.1
3. सर्वेक्षण तथा मानचित्रण 101	19187	14566	20445	14875	22447	15766	19750
4. खनिज अन्वेषण 102	73320	64658	80126	69044	88937	69603	102940.1
5. अन्य व्यय 800	0	0	0	0	130000.1	2952	9000
मांग संख्या -25 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म पर पूंजीगत व्यय शीर्ष 4853							
1. अन्य व्यय 800	1000	517	1000	722	1000	397	0
योग	120000	98708	131744	107124	156847.8	107033.52	162994.2

ग्रामीण अवसंरचना अधिनियम 2005 की जमा राशि में से खनिज क्षेत्र विकास निधि (0420) के अंतर्गत 8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में प्राप्त राशि

भाग - 3

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

3.1 (अ) राज्य योजनायें :-

वर्ष 2015-16 में किये गये कार्य का विवरण एवं उपलब्धियाँ (दिसम्बर 2015 तक):-

खनिज, उद्योगों हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है, विभाग विभिन्न उद्योगों को अनेक प्रकार के आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। विभाग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण का कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 1197.5 वर्ग कि.मी क्षेत्र का सर्वेक्षण/मानचित्रण, 3419.60 मीटर ड्रिलिंग तथा 4658 मूलकों के रासायनिक विश्लेषण का कार्य किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान माह दिसम्बर 2015 तक किये गये खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्यों का खनिजवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. **चूना पत्थरः**

सतना, धार, मुरैना जिले में चूना पत्थर हेतु पूर्वेक्षण कार्य निरंतर है एवं माह दिसम्बर 2015 तक 308.50 मी. ड्रिलिंग कार्य किया जा चुका है।

2. **कोयलाः**

विभाग द्वारा उत्पादन आधारित कोयला अन्वेषण कार्य, कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा पूर्वेक्षण हेतु निर्धारित दर पर, अनूपपुर जिले के गोविन्दा एवं राजनगर क्षेत्र में किया जा रहा है। दिसम्बर 2015 तक उपरोक्त क्षेत्रों में क्रमशः 1341.95 मी. तथा 1431.00 मी. ड्रिलिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह कार्य निरंतर है।

3. **आयरन ओर/लेटेराईट :-**

भिंड जिले में आयरन ओर के सर्वेक्षण कार्य के तहत 269 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतगामी सर्वेक्षण एवं 1.01 वर्ग किलोमीटर विस्तृत मानचित्र का कार्य किया गया।

4. क्षेत्रीय कार्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का कार्यः

सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व भी दिया गया है।

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरणः

क्र.	वर्ष	सर्वेक्षण/मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)		पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)		ड्रिलिंग (मीटर)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2014-15	13000	13922	आवश्यकतानुसार	288	5000	5630.81
2.	2015-16 दिसम्बर तक	आवश्यकतानुसार	1197.5	आवश्यकतानुसार	00	5700	3419.60

वर्ष 2014-15 में 5841 एवं 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक 4658 मूलक विश्लेषित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग अनुमानित खनिज भंडारों के भविष्य में दोहन होने पर राज्य शासन को रायल्टी प्राप्त होगी।

3.2 (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

केन्द्र प्रवर्तित कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.3 (स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें :

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.4 (द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें :

विदेशी सहायता प्राप्त कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.5 (ई) अन्य योजनायें :

निरंक।

भाग - चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय -

पदोन्नतियां :-

राज्य शासन द्वारा जारी, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत वर्ष 2015-16 में कुल 11 पदोन्नतियां की गई है।

नियुक्तियां :-

विभाग में वर्ष 2015-16 में, तृतीय श्रेणी के पद पर 03 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर 03 तथा 04 अनुकम्पा नियुक्तियां की गई है।

स्थानांतरण :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये घोषित स्थानांतरण नीति अनुसार जनहित में अधिकारियों के 122 स्थानांतरण किये गये है।

विभागीय जांच :-

विभाग में 19 शासकीय सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित है आगामी कार्यवाही प्रचलित है।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति -

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर्मचारियों के मामले से संबंधित 06 प्रकरण माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत हुये जिनमें प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। 02 प्रकरणों के निराकरण हो चुके है तथा शेष 04 प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सूचना का अधिकार -

वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक मुख्यालय में 156 आवेदन प्राप्त हुये थे जिन पर नियमानुसार एवं निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की गई है।

भाग - पांच

5.1 अभिनव योजना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय कार्य समीक्षा हेतु खनिज साधन विभाग के लिये निम्न बिन्दु निर्धारित किये गये हैं।

1. **खनिज संसाधनों का चिन्हांकन।**
2. **खनिज संसाधनों का दोहन।**

खनिज संसाधनों का चिन्हांकन :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में खनिज संसाधनों के चिन्हांकन के अंतर्गत प्रदेश में संशोधित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 2015 के तहत आवश्यकता अनुसार द्रुतगति भौमिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से खनिजों की खोज का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आये खनिज धारित क्षेत्रों का विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा। पूर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार गढ़ढाकरण तथा 5700 मी. वेधन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्र नमूनों में 4500 मूलकों का विश्लेषण किया जायेगा। खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन दिनांक 12.01.2015 के अनुसार विभाग द्वारा चूनापत्थर के तीन ब्लाक खनि रियायत तथा एक हीरा खनिज ब्लाक को समेकित अनुज्ञा के लिये ई-नीलामी की कार्यवाही की रही है।

खनिज संसाधनों का दोहन :-

1. खनिज संसाधनों के दोहन की दिशा में खनि रियायतों की अधिकाधिक स्वीकृति एवं नयी खदानों की घोषणा पर जोर दिया जावेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व आय शीर्ष 0853 एवं ग्रामीण अवसंरचना शीर्ष 0035 के अंतर्गत निर्धारित संशोधित लक्ष्य 3400.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3477.32 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये 3550.00 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 2220.92 करोड़ की प्राप्ति हुई है। शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किये जाने की पूर्ण संभावना है।

3. प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु राज्य शासन व्दारा गठित किये गये 05 संभागीय उड़नदस्तों को आवश्यक अमले एवं

वाहन सुविधा से सक्षम बनाने की योजना है ताकि खनिज राजस्व अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर के राजस्व में आशातीत वृद्धि प्राप्त की जा सके। अमले का सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलित है एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में आवश्यक संशोधन कर अवैध उत्खनन, परिवहन रोकने हेतु अर्थदण्ड की राशि में बढोत्तरी की गई है।

4. केन्द्र शासन की नीति एवं दिशा निर्देशों के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश खनिज नियम (खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) 2006 लागू किया गया है इन नियमों के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर ज्यादा कारगर कार्यवाही के प्रयास जारी रखे जावेंगे।

भाग - छः

6.1 (विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन/प्रतिवेदन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये)

विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक किये गये सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर कुल 09 प्रतिवेदन तैयार किये गये है इनमें सतना जिले में चूनापत्थर के घुड़सा ब्लाक, बंदरखा ब्लाक, दमोह जिले में चूनापत्थर के निमरमुण्डा ब्लाक, बडवानी जिले में कैल्साइट के सर्वेक्षण तथा सीमांकन का कार्य तथा अनूपपुर जिले के कोल प्रोडक्शन सपोर्ट ड्रिलिंग के 04 प्रतिवेदन तैयार किये गये है।

प्रदेश में जन सामान्य को रेत की सुगमता से उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा रेत खनन नीति 2015 का प्रकाशन किया गया है।

भाग-सात

7.1 मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से संबंधित जानकारी

(1) स्थापना :-

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपक्रम दि एम0पी0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 की स्थापना वर्ष 1962 में हुई। निगम की मुख्य कार्यकारी अधिशासी परिषद संचालक मंडल है। संचालक मंडल में अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रबंध संचालक है।

(2) संरचना :-

मुख्य कार्यालय में प्रबंध संचालक के अधीन वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालक संचालक, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) (अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्मिक अधिकारी) तथा दो वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (भौमिकी) तथा वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक (सर्वे) कार्यरत है। मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) के अधीन वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा), उप महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) (इंचार्ज), तथा उप कार्यालय में पदस्थ सहायक प्रबंधक (लेखा)। मुख्य कार्मिक अधिकारी के अधीन वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (सर्वे) है। वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक गण (भौमिकी) के अधीन मुख्य कार्यालय में तीन उप महाप्रबंधक (भौमिकी), उप-महाप्रबंधक (तकनीकी) तथा उप कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ महाप्रबंधक (खान), उप-महाप्रबंधक (भौमिकी), वरिष्ठ खान प्रबंधक, तथा अन्य कार्यालयीन/फील्ड स्टाफ कार्यरत है ।

निगम की अधिकृत पूंजी 500.00 लाख तथा प्रदत्त पूंजी 219.59 लाख है ।

(3) गतिविधियाँ :-

निगम द्वारा मेघनगर रॉक फास्फेट खदान, जिला झाबुआ, हीरापुर रॉक फास्फेट खदान जिला सागर, कारी डायस्पोर/पायरोफ़िलाइट खदान, जिला-टीकमगढ़ से संबंधित खनिजों के खनन एवं विपणन का कार्य तथा उप-कार्यालय होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, हरदा, ग्वालियर, टीकमगढ़ अंतर्गत 18 जिलों में स्वीकृत रेत खदानों से गौण खनिज रेत के विक्रय का कार्य एवं भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी औपचारिक अनुमति के आधार पर निगम को जिला शिवपुरी वन क्षेत्र अंतर्गत 217.063 हे0 क्षेत्र पर खनिज फर्शी पत्थर हेतु पांच उत्खनि पट्टा शासन स्तर से स्वीकृत हुए हैं। विधिवत अनुमतियां प्राप्त होने के उपरांत निगम द्वारा इन क्षेत्रों से फर्शी पत्थर के उत्खनन एवं विक्रय का कार्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है।

(4) संयुक्त क्षेत्र उपक्रम अंतर्गत कार्यशील परियोजनायें एवं प्रस्तावित योजनायें:-

(i) ग्रेनाइट -

निगम के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम मेसर्स फारचून स्टोन्स लिमिटेड तथा मेसर्स किसान मिनरल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जिला-छतरपुर अंतर्गत क्रमशः ग्राम कटहरा, हरद्वार, गढ़ीमलहरा एवं मड़वा, रतनपारा में खनिज ग्रेनाइट के उत्खनन एवं विक्रय का कार्य किया जाता है तथा निगम को स्थानीय विकास निधि मद में भी राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

(ii) बाक्साइट :-

निगम के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम कटनी बाक्साइट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निगम को स्वीकृत जिला रीवा के ग्राम टीकर एवं जिला-रीवा, ग्राम चचानडीह, जिला अनुपपुर के बाक्साइट क्षेत्रों में खनिज बाक्साइट का खनन स्वतः उपयोग हेतु एवं अन्य क्षेत्रों को विक्रय का कार्य किया जाता है तथा निगम को निर्धारित कमीशन राशि रूपये 82/- तथा रूपये 48/- प्रतिटन का भुगतान किया जाता है ।

(iii) कोयला :-

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP 120/2012 मनोहरलाल शर्मा विरूद्ध प्रमुख सचिव में माह अगस्त एवं सितम्बर 2014 में पारित निर्णय द्वारा संपूर्ण भारत में विभिन्न कम्पनियों को आवंटित 204 से कोल ब्लाक्स के आवंटन निरस्त कर दिये गये है, जिनमें से निगम के 10 कोल ब्लाक्स आवंटन निरस्त हो गये है। अब मात्र एक केरवा कोल ब्लाक्स निगम के पास शेष रह गया है। यह Coal Block CMDC के साथ निगम को संयुक्त रूप से आवंटित है एवं इस बावत संयुक्त क्षेत्र उपक्रम से अनुबंध निष्पादित हो गया है एवं संयुक्त क्षेत्र उपक्रम के गठन की कार्यवाही प्रचलन में है।

निगम द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत मुख्य एवं गौण खनिजों की स्वीकृत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने एवं समन्वय हेतु मुख्य कार्यालय स्तर पर अधिकारियों की एक पर्यावरण सेल का गठन कर लिया गया है।

(5) अमला :-

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 31.12.2014 की स्थिति :-

प्रथम श्रेणी	-	05
दिव्तीय श्रेणी	-	13
तृतीय श्रेणी	-	244
चतुर्थ श्रेणी	-	92
कुल	-	354

(6) **वार्षिक टर्न ओवर एवं लाभ-हानि :-**

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओवर	लाभ (कर पूर्व)
1	2011-2012	14105.00	4576.91
2	2012-2013	19075.18	6242.38
3	2013-2014	18596.62	6212.19
4	बजटीय लक्ष्य 2014-2015	50000.00	11000.00

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम प्रदेश में मुख्य खनिजों एवं गौण खनिजों का दोहन/विपणन कार्य कर रहा है। मुख्य खनिजों में रॉकफास्फेट, डायस्पोर, पायरोफिलाइट, बाक्साइट, डोलोमाइट खनिज तथा गौण खनिज में रेत फर्शी पत्थर एवं मार्बल एवं ग्रेनाइट में कार्यरत है।

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2004 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा वर्ष 2003-2004 से उसकी रेत खदानों हेतु शासन को रायल्टी के समतुल्य अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इसी मद में वर्ष 2013-14 के लिये निगम द्वारा रूपये 58.32 करोड़ की अतिरिक्त राशि शासन को भुगतान की गई है। मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.09.2014 के द्वारा खनिज रेत पर रायल्टी की दर रूपये 100/- प्रति घनमीटर निर्धारित कर दी है। इसके पूर्व यह दर रूपये 53/- प्रति घनमीटर थी। इस प्रकार निगम शासन को रेत पर दुगुनी रायल्टी राशि प्रति घनमीटर उपलब्ध कराता है। वहीं निजी पट्टेदार केवल रूपये 100/- प्रति घन मीटर ही भुगतान करते है। निगम रेत पर वाणिज्य कर का भुगतान भी करता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राज्य शासन को मुख्य

खनिजों पर रायल्टी एवं खनिज ग्रेनाइट पर स्थानीय विकास राशि का भुगतान भी किया जाता है ।

(7) निगम के उप कार्यालय :-

निगम के निम्नानुसार उप कार्यालय है, जहां खनिजों का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है, उप कार्यालय में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (नवम्बर 2014 तक) के विक्रय एवं विक्रय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	उप कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15 (नवम्बर 14 तक)	
			विक्रय		विक्रय	
			मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)
(अ) मुख्य खनिज						
1	अमेलिया	कोल	-	-	642760.21	13204.56
2	मेघनगर	रॉकफास्फेट	129679	1552.39	26798.38	330.17
3	सागर	रॉकफास्फेट	3620	31.88	27775.67	216.84
4	सतना (कमीशन आधार पर JVC से आय)	बाक्साइट	-	101.62	-	52.21
5	टीकमगढ़	डायस्पोर	-	-	निरंक	निरंक
		पायरोफिलाइट	420	12.27	2773.16	81.01
			मात्रा (घ.मी.)	राशि (लाख में)	मात्रा (घ.मी.)	राशि (लाख में)
(ब) गौण खनिज						
1	शिवपुरी	फर्शीपत्थर	17050	289.99	11114	173.37
2	होशंगाबाद	रेत	3943987	5946.39	2487399	4408.83
3	जबलपुर	रेत	682721	1045.47	768054	1254.63
4	कटनी	रेत	924712	1387.09	540860	857.66
5	हरदा	रेत	1865954	2805.51	1462139	2456.34
6	धामनोद	रेत	1494192	2241.29	723452	1307.38
7	ग्वालियर	रेत	1361000	2141.03	1597841	2940.52
8	टीकमगढ़	रेत	762204	1143.31	618260	1062.16

(8) राज्य खनिज निगम के अंकेक्षण की स्थिति :-

राज्य खनिज निगम के लेखों का अंकेक्षण कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउटेंट्स एवं उनके स्वयं के द्वारा किया जाता है। निगम के वर्ष 2013-2014 के लेखे निगम के वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित कराये जा चुके एवं वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

भाग-आठ

8.1 जेण्डर मुद्दे :-

विभाग में जेण्डर मुद्दों से संबंधित जानकारी निरंक है।

भाग-नौ

9.1 (सारांश)

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के हृदय स्थल में बसा मध्यप्रदेश खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। प्रकृति प्रदत्त खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं विकास हेतु खनिज साधन विभाग सतत प्रयत्नशील है। इस विभाग के अंतर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, का मुख्यालय भोपाल में कार्यरत है। विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खनिज सर्वेक्षणों को नई दिशा दी जा रही है। खनिज प्रशासन का कार्य प्रदेश के 51 जिला कार्यालयों तथा हीरा कार्यालय पन्ना में पदस्थ खनिज अमले व्दारा सम्पादित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में मध्यप्रदेश मे 14363.20 (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को छोड़कर) करोड़ रूपये मूल्य के मुख्य खनिजों का उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप 3477.32 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 14500 करोड़ रूपये मूल्य का खनिज उत्पादन होने की संभावना है।

परिशिष्ट - क

1 जनवरी 2016 की स्थिति में मध्यप्रदेश में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत					कुल कार्यरत
		मुख्य कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	हीरा कार्यालय	जिला कार्यालय	अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर	
राजपत्रित							
प्रथम श्रेणी	43	15	09	-	07	-	31
दि्वतीय श्रेणी	113	11	18	1	47	-	77
अराजपत्रित							
तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	310	12	28	03	157	-	200
लिपिक वर्गीय	165	26	16	03	80	-	125
चतुर्थ श्रेणी	168	20	24	16	67	-	127
नैमेत्तिक	49	07	15	01	16	-	39
योगः-	848	91	110	24	374	-	599

परिशिष्ट "ख" एक

वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 के लिये भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि विवरण :-

क्र.	वर्ष	सर्वेक्षण/मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)		पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)		ड्रिलिंग (मीटर)		नमूना विश्लेषण (मूलक)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
1.	2010-11	12000	13008.93	60	20.00	5000	5562.45	4154
2.	2011-12	12000	12743	आवश्यकतानुसार	24.00	5000	5026.85	5444
3.	2012-13	12000	14377	आवश्यकतानुसार	00	5000	5330.25	4132
4.	2013-14	12000	12801	आवश्यकतानुसार	00	5000	5139.65	5240
5.	2014-15	13000	13922	आवश्यकतानुसार	288.00	5000	5630.81	5841

परिशिष्ट "ख" दो

सर्वेक्षण सत्र 2014-15 में मध्यप्रदेश में चूना पत्थर के 15 मिलियन भण्डार अनुमानित किये गये हैं। कोल इंडिया लिमिटेड हेतु अनुबंध के आधार पर विभाग द्वारा कोयला पूर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक निम्नानुसार उपलब्धियाँ दर्ज की गईः-

क्र.	वर्ष	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन (अनुमानित भण्डार)
1.	2010.11	डोलोमाइट	छतरपुर	12.73 मि.टन
		लाइमस्टोन	सतना	25.00 मि.टन
		लेटेराइट	नीमच/मंदसौर	35.00 मि.टन
2.	2011-12	डोलोमाइट	छतरपुर	14.04 मि.टन
		लाइमस्टोन	सतना	25.00 मि.टन
		लेटेराइट	नीमच/मंदसौर	20.10 मि.टन
3.	2012-13	डोलोमाइट	छतरपुर	06.37 मि.टन
		लाइमस्टोन	सतना	15.00 मि.टन
4.	2013-14	डोलोमाइट	छतरपुर	06.07 मि.टन
		लाइमस्टोन	सतना	15.00 मि.टन
5.	2014-15	लाइमस्टोन	सतना	15.00 मि.टन

नोट :- उपरोक्त विभिन्न खनिजों के भण्डार समय-समय पर किये गये द्रुतगामी भौमिकी सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आकड़ों के आधार पर अथवा विभाग द्वारा किये गये प्रारंभिक पूर्वेक्षण (वेधन) के दौरान अंतरिम गणना के आधार पर अनुमानित किये जाकर दर्शाये गये है।

परिशिष्ट -"ग"

मध्यप्रदेश के 51 जिलों में 3 वर्षो का खनिजवार उत्पादन एवं राजस्व प्राप्ति का विवरण

क्र.	खनिज	उत्पादन (लाख टन में)			राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपयों में)		
		2012-13 (संशोधित)	2013-14 (संशोधित)	2014-15 (प्रावधिक)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोयला	759.48	755.90	852.08	1497.93	1526.78	1816.06
2	चूना पत्थर	355.36	378.32	389.72	263.59	243.22	271.25
3	ताम्र अयस्क	22.54	23.76	24.58	35.73	42.44	31.78
4	मैग्नीज अयस्क	7.15	7.96	8.84	22.69	22.55	19.24
5	हीरा (कैरेट में)	31988	37515	35724	2.13	5.43	8.67
6	डोलोमाइट	6.56	5.96	5.43	5.13	4.03	6.38
7	बॉक्साइट	10.17	7.76	8.08	10.46	9.29	9.87
8	रॉक- फास्फेट	2.48	1.31	0.78	1.69	0.98	0.82
9	डायस्पोर/ पायरोफिलाइट	2.15	1.73	1.20	1.69	2.32	2.21
10	फायरक्ले	0.71	0.74	0.23	0.20	0.20	1.34
11	लेटेराइट	5.11	6.06	5.90	0.81	1.31	2.28
12	आयरनओर	12.25	20.90	40.19	15.27	18.50	31.57
13	शैल	5.20	4.54	3.84	0.12	0.08	0.13
14	गेरू	0.55	0.69	0.70	0.01	-	-
15	क्ले (अन्य)	4.26	4.37	3.65	0.01	0.02	0.01
16	अन्य मुख्य खनिज	0.12	1.25	0.32	15.65	14.90	81.42
17	ग्रामीण अवसरंचना शीर्ष 0035	0	0	0	591.34	648.29	642.36
योग मुख्य खनिज 0853/0035		1194.19	1221.25	1345.54	2464.45	2540.34	2925.39
योग गौण खनिज 0853		850.09	573.26	401.73	451.38	400.36	551.93
कुल योग		**2044.28**	**1894.51**	**1747.27**	**2915.83**	**2940.70**	**3477.32**

स्त्रोत :- भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

ई-मेल तथा वेबसाईट

1. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश

दूरभाष : 0755-2551795

फैक्स : 0755-2551795

E-Mail - dirgeomn@mp.nic.in

Website - www.mp.gov.in/mineralresouces

Webportal - www.ekhanij.mp.gov.in

2. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित

दूरभाष : 0755-2763391,92,93

फैक्स : 0755-2763394

E-Mail - info.mpsmc@mp.gov.in

Website - www.mpsmcl.mp.gov.in